Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **अतिरिक्त जिला कलक्टर** मुकाम **जोधपुर (ग्रामीण)**

प्रार्थी बनाम **अप्रार्थी**

गौतम शर्मा पुत्र सत्यनारायण, जाति ब्राह्मण, उम्र 46 वर्ष, निवासी फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

श्रीमती शांतिदेवी पत्नी अचलाराम, निवासी फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

किस्म मुकदमा **विविध प्रार्थना–पत्र** नं. 72 सन् **2023**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व इस हुक्म तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
09.10.2023	राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त 2023 की अनुपालना में जिला जोधपुर (ग्रामीण) का नवगठन होने तथा न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) के आदेश क्रमांक/डी.एम./रीडर/2023/01 दिनांक 05.09.2023 की अनुपालना में प्रकरण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से प्रकरण सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 28.11.2023 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर(ग्रामीण)	
28/11/23	पत्रावली आज पेश हुई। श्रीमान P.O. महो. आज चुनाव में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 15/01/24 को पेश हों।	
15/01/24	पत्रावली आज पेश हुई उभयपक्ष अधि० अनुपस्थित। अपीलार्थी एवं उनके अधिवक्ता को न्यायालय समक्ष में आवाजें दिलवाई गई। अपीलार्थी/प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र [illegible] एवं अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema
Date: 2024.05.24 18:29:22
Reason: SelfAttested